University of Lucknow | Centennial Celebrations
लखनऊ विश्वविद्यालय | शताब्दी उत्सव
100 Years 1920 - 2020

डॉ0 विनोद कुमार सिंह
कुलसचिव

Dr. Vinod Kumar singh
Registrar

लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ 226007(उ.प्र.)भारत
University of Lucknow
Lucknow-226007(U.P)INDIA

संख्या R/999/22
दिनांक 18/07/22

सेवा में,

समस्त प्राचार्य / प्राचार्या,
सहयुक्त लखनऊ विश्वविद्यालय

विषयः आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत दिनांक 11 अगस्त से 17 अगस्त, 2022 स्वतंत्रता सप्ताह के मध्य 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्याः 1195 दिनांक 13 जुलाई, 2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 11 अगस्त से 17 अगस्त, 2022 स्वतंत्रता सप्ताह के मध्य **'हर घर तिरंगा'** कार्यक्रम मनाये जाने के सम्बन्ध निर्देश दिये गये हैं।

उक्त आदेश संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया दिये गये निर्देशानुसार अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नकः यथोक्त।

(डॉ0 विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

संख्याः R/999/22 **दिनांकः** 18/07/22

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
3. इंचार्ज, यू0डी0आर0सी0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि समस्म महाविद्यालयों के लॉगिन आई0डी0 पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
4. सम्बद्धता अनुभाग, ल0वि0वि0।

कुलसचिव

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या– 1095 /सत्तर–3–2022

प्रेषक,

मोनिका एस0 गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **कुलपति,**
   समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
   उ0प्र0।
2. **निदेशक,**
   उच्च शिक्षा, उ0प्र0
   प्रयागराज।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
   उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 13 जुलाई, 2022

विषय– आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत दिनांक 11 अगस्त से 17 अगस्त, 2022 स्वतंत्रता सप्ताह के मध्य 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम देश भर में गरिमामय रूप से मनाया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के कियान्वयन हेतु गठित राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति(NIC) द्वारा दिनांक 11 से 17 अगस्त, 2022 के मध्य ' हर घर तिरंगा' कार्यक्रम अनुमोदित किया गया है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक भारतीय को अपने घर एवं प्रतिष्ठानों पर झण्डा फहराने के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रप्रेम की भावना को जाग्रत करते हुए स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव उजागर करना है।

2– उक्त के अनुक्रम में आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत दिनांक 11 अगस्त से 17 अगस्त, 2022 स्वतंत्रता सप्ताह के मध्य 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम के आयोजन के सम्बन्ध में शासन के पत्र सं0– संख्या–1468/सत्तर–3–2022 दिनांक 08 जून, 2022 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है।

3– इसी कम में प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत दिनांक 11 अगस्त से 17 अगस्त, 2022 के मध्य **"हर घर तिरंगा"**

कार्यक्रम को सफल बनाये जाने हेतु निम्नवत कार्यवाही सुनिश्चित की जाय:-

1. ''हर घर तिरंगा'' कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 11 अगस्त से 17 अगस्त, 2022 के मध्य सरकारी कार्यालयों, समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयो में 20" X 30" का झण्डा दिन भर फहराया जायेगा। झण्डे के आकार का अनुपात 2:3 का होगा। झण्डा, खादी/पालिस्टर/सिल्क/ कॉटन अथवा सूती कपड़े का होगा।
2. समस्त उच्च शिक्षण संस्थान 15 अगस्त, 2022 को खुले रहेंगे।
3. ''हर घर तिरंगा'' कार्यक्रम प्रत्येक सरकारी अधिकारी/कर्मचारी, शिक्षकगण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न नागरिक संगठनों आदि के सहयोग से कियान्वित किया जाये।
4. संस्कृति विभाग के सहयोग से झण्डा गीत का रिहर्सल प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थानों में किया जायेगा।
5. राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) द्वारा तिरंगे के साथ प्रभात फेरी निकाली जायेगी, जिसमें कुछ छात्र आजादी के नायकों के पोशाक में सम्मिलित होंगे।
6. बैनर, पम्पलेट, स्टैण्डी, होर्डिंग्स एवं अन्य उपर्युक्त माध्यमों से स्थानीय भाषा एवं बोली में कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये।
7. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय द्वारा एक-एक चौराहे का तिरंगे के साथ सुंदरीकरण किया जायेगा।
8. ''हर घर तिरंगा'' कार्यक्रम हेतु केन्द्र सरकार द्वारा झण्डा संहिता में संशोधन किया गया है (संलग्नक-1)
9. हर घर झण्डा फहराने हेतु छात्रों एवं अध्यापकों को झण्डा फहराने की विधि तथा अन्य जानकारियों से स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाये।(संलग्नक-2)
10. समस्त आयोजनों का अनुश्रवण का कार्य निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0 प्रयागराज के द्वारा किया जायेगा।
11. उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा **'हर घर तिरंगा'** के अन्तर्गत किये गये कार्यकमों का विवरण एवं फोटो आदि को उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 प्रयागराज की आधिकारिक वेबसाइट http://uphed.gov.in/HigherEduDirectorate/ DefaultDir.aspx पर Login- Azadi ka Amrit Mahotsav Password- High@1234 तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपलोड किया जाय।
12. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी दिनांक 15.07.2022 से 28.07.2022 के मध्य प्राचार्यो के साथ ''हर घर तिरंगा'' कार्यकम को सफल बनाने हेतु बैठक करेंगे।

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्राचार्य के साथ बैठक यथासम्भव सायं 04:00 बजे के उपरान्त आयोजित की जाय जिससे पठन-पाठन

बाधित न हो। कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना निम्न प्रारूप पर दिनांक 17.07.2022 तक प्रत्येक दशा में उच्च शिक्षा अनुभाग–3 की ई–मेल आई0डी0 hesection.3@gmail.com एवं उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद की ई–मेल आई0डी0 upshec@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे:–

प्राचार्यों के साथ आयोजित किये जाने वाले बैठक कार्यक्रम का विवरण	तिथि	समय	जनपद का नाम / स्थान	प्रतिभाग करने वाले प्राचार्यों की सम्भावित संख्या
1	2	3	4	5

13. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्राअन्तर्गत आने वाले जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी से समन्वय बनाकर कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु मार्गदर्शन प्राप्त किया जायेगा।

14. उच्च शिक्षण संस्थानों में दिनांक 11.08.2022 से 17.08.2022 तक निम्नवत कार्यक्रम आयोजित किये जायें:–

<u>दिनांक 11 अगस्त, 2022 स्वतंत्रता सप्ताह : प्रथम दिवस</u>

- संस्थानो में लेखन, स्लोगन, पेंटिंग, निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा।
- प्रदेश समस्त विद्यालयों में तिरंगे के सफर पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया जायेगा।

<u>दिनांक 12 अगस्त, 2022 स्वतंत्रता सप्ताह : द्वितीय दिवस</u>

- एन0एन0एस0 द्वारा आजादी के 75वें वर्षगांठ पर प्रत्येक गाँव में पौधों को रोपण किया जाय।
- एन0एन0एस0 द्वारा नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जायेगा।

<u>दिनांक 13 अगस्त, 2022 स्वतंत्रता सप्ताह : तृतीय दिवस</u>

- संस्थान के छात्रावास, प्रयोगशालाओं आदि का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर किया जाय।

<u>दिनांक 14 अगस्त, 2022 स्वतंत्रता सप्ताह : चतुर्थ दिवस</u>

- संस्थानों में राष्ट्रभक्ति पर आधारित फिल्मों/ड्राक्यूमेन्ट्री का प्रदर्शन किया जायेगा।
- राष्ट्रभक्ति पर आधारित 'ओज का कवि सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा।

<u>दिनांक 15 अगस्त, 2022 स्वतंत्रता सप्ताह : स्वतंत्रता दिवस</u>

- विद्यार्थियो द्वारा "सेल्फी विद् तिरंगा" प्रतियोगिता, जिसमें अपने घरों पर झण्डा फहराते हुये सेल्फी प्रेषित की जानी होंगी। प्रथम, द्वितीय

तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को उत्कृष्ट सेल्फी हेतु पुरस्कृत किया जायेगा।

- प्रदेश के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में राष्ट्रभक्ति पूर्ण आयोजन किया जायेगा।

दिनांक 11 अगस्त, 2022 से 17 अगस्त, 2022

- समस्त सरकारी कार्यालयों में तिरंगे की लाइटिंग की जायेगी।

3— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "आजादी के अमृत महोत्सव" के अन्तर्गत 'दिनांक 11 से 17 अगस्त, 2022 स्वतंत्रता सप्ताह के मध्य आयोजित किये जाने वाले **'हर घर तिरंगा'** कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय

13/7

(मोनिका एस0 गर्ग)
अपर मुख्य सचिव

संख्या– 1895(1)/सत्तर–3–2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–निजी सचिव, मा0मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
2–निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
3–श्री कुमार हर्ष, विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4–स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5–प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन।
6–समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7–समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8–समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
9–विशेष कार्यकारी अधिकारी एवं जनसम्पर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
10–संस्कृति अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन।
11–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

संलग्नक–1

File No. 02/01/2020-Public (Part-III)
Government of India
Ministry of Home Affairs
(Public Section)
******

North Block, New Delhi
Dated 30th December, 2021

ORDER

Subject: Amendment in the Flag Code of India, 2002- Reg.

The use/display/hoisting of the Indian National Flag is governed by the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 and the Flag Code of India, 2002, which are available on this Ministry's website www.mha.gov.in. With the approval of the Competent Authority, paragraph 1.2 of Part-I of the Flag Code of India, 2002 has been amended and it shall be read as under :-

"1.2 The National Flag of India shall be made of hand spun and hand woven or machine made, cotton/polyester/wool/silk khadi bunting".

(Vijay Kumar)
Deputy Secretary to the Government of India
Tele No. 2309 3101

To

The Chief Secretaries/Administrators of
All State Governments/UT Administrations,
Secretaries of all Ministries/Departments of Government of India.

Copy to:

1. President's Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi.
2. Vice – President's Secretariat, New Delhi.
3. Prime Minister's Office, South Block, New Delhi.
4. Cabinet Secretariat, New Delhi.
5. Office of all Governors.
6. Election Commission of India, New Delhi.
7. Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
8. Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
9. Registrar, Supreme Court of India, New Delhi.
10. Registrar, all High Courts.
11. Office of Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.
12. The Union Public Service Commission, New Delhi.
13. Central Vigilance Commission, New Delhi.
14. NITI Aayog, Yojana Bhawan, New Delhi.
15. All attached & Subordinate Offices of the Ministry of Home Affairs.
16. 5 Spare Copies.

(Vijay Kumar)
Deputy Secretary to the Government of India
Tele No. 2309 3101

झण्डा फहराने के नियम

- प्रत्येक नागरिक को अपने आवास/स्कूल तथा सरकारी कार्यालयों में झण्डा सम्मान के साथ झण्डा संहिता का अनुपालन करते हुए फहराना/लगाना है।
- झण्डा फहराते समय सदैव केसरिया रंग की पट्टी झण्डे के ऊपर की तरफ होनी चाहिए।
- झण्डे को यदि सरकारी परिसर में फहराया जाता है तो सूर्योदय के उपरान्त ध्वजारोहण किया जाना चाहिये तथा सूर्यास्त के साथ ही सम्मान के साथ इसे उतारना चाहिए।
- दिनांक 11 से 17 अगस्त, 2022 तक निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर लगाये जाने वाले झण्डों को उक्त समयावधि के उपरान्त आदर भाव के साथ उतार कर सुरक्षित रखा जायेगा।
- झण्डा उतारने के बाद किसी भी नागरिक के द्वारा इसे फेंका नहीं जायेगा। उसे सम्मान के साथ फोल्ड करके रखा जाना चाहिए।
- विशेष परिस्थितियों में झण्डा रात्रि में फहराया जा सकता है।
- हर घर पर झण्डा विधिवत् तरीके से लगाया जाना चाहिए। आधा झुका, फटा या कटा झण्डा लगाया जाना निषेध होगा।